कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

अपील संख्याः--38/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री कृष्णलाल पुत्र श्री मानाराम जाति जाट निवासी 4 आरटीपी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

--अपीलार्थी

**बनाम**

तहसीलदार (भू. अभि.), संगरिया।

--प्रत्यर्थी

आदेश दिनांकः--08.08.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार (भू. अभि.), संगरिया के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी की ओर से उसका प्रतिनिधि श्री रमेश दर्गन उपस्थित। अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार तहसीलदार (भू. अभि.), संगरिया द्वारा जानबूझकर सही सूचना नही दी गई है। तहसीलदार (भू. अभि.), संगरिया से वांछित सूचना दिलाई जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई हैं।

तहसीलदार (भू0अ0), संगरिया से पत्र क्रमांक 2878 दिनांक 19.07.2019 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ है व अपीलार्थी के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 08.08.2019 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व लिखित बहस का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के प्रतिनिधि ने लिखित बहस में कथन किया है कि तहसीलदार (भू. अभि.), संगरिया द्वारा उसे जानबूझकर अधूरी सूचना दी गई है तथा नियमानुसार सूचना भी नहीं दी गई है जबकी तहसीलदार (भू.अभि.), संगरिया के पत्र क्रमांक 2878 दिनांक 19.07.2019 का अवलोकन करने से तहसीलदार संगरिया द्वारा पत्रांक 2333 दिनांक 17.06.2019 से अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 से 10 के संबंध में सूचना दिया जाना पाया गया। अपीलार्थी को इस अपील में ओर कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ